

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 233] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 9, 1978/श्रावण 18, 1900
No. 233] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 9, 1978 SRAVANA 18, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

विश्व मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1978

सीमा-शुल्क

सा. क्र. नि. 402(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान होजाने पर कि एंरा करना शोकीहत में आवश्यक हैं, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 47 के अन्तर्गत आने

वाली काष्ठ लुगदी करें, जब उसका आयात भारत में कागज के विनिर्माण के लिए किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क के उत्तरी भाग से छूट देती है, जितना मूलानुसार पाँच प्रतिशत से अधिक है।

परन्तु यह तब जब कि आयातकर्ता, ऐसे प्ररूप में और ऐसी शर्तों पर बन्धपत्र, जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर विनिर्दिष्ट करें, निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह प्रश्नगत काष्ठ लुगदी की उत्तरी मात्रा के संबंध में जिसको बाबत सहायक सीमाशुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं किया गया है कि उसका उपयोग पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए किया गया है, मांग किए जाने पर उत्तरी रकम का भुगतान करेगा जो इस अधिसूचना में दी गई छूट के न दिए जाने की दशा में उस मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय संदत्त शुल्क के बीच के अन्तर के बराबर है।

[सं. 157/फा. सं. 355/368/77-सीमाशुल्क 1]

एम. जयारामन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 1978

CUSTOMS

G.S.R. 402(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts wood pulp, falling within Chapter 47 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the manufacture of paper, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of five per cent *ad valorem*.

Provided that the importer by the execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay, on demand, in respect of such quantity of wood pulp in question as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose an amount equal to the difference between the duty which would have been leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that paid at the time of importation.

[No. 157/F. No. 355/368/77-Cus. I]

M. JAYARAMAN, Under Secy.